विधानसभा तारां प्रश्न क्र-3013 के भाग (क) का परिशिष्ट "[illegible]"
(पृष्ठ [illegible] 2 तक)

म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के तहत् जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मंडल तथा कार्यपालिक समिति जिला छिन्दवाड़ा की बैठक दिनांक 30.11.2016 का कार्यवाही विवरण

म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के तहत् जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मंडल तथा कार्यपालिक समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016 को माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन मंत्री कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग म.प्र. शासन तथा प्रभारी मंत्री जिला छिन्दवाड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के अतिरिक्त निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहें

1. माननीय श्रीमति कांता ठाकुर अध्यक्ष जिला पंचायत छिन्दवाड़ा
2. माननीय श्री नत्थनशाह कवरेती विधायक जुन्नारदेव
3. माननीय श्री नानाभाऊ मोहोड़ विधायक सौंसर
4. माननीय श्री आर्दश शर्मा अध्यक्ष नगरपरपालिका जुन्नारदेव
5. माननीय सुश्री गीता यादव अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् परासिया
6. माननीय श्री नवीन जैन अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा
7. माननीय श्रीमति माया डेहरिया अध्यक्ष नगर पंचायत बड़कुही
8. प्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय छिन्दवाड़ा
9. वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल पूर्व छिन्दवाड़ा
10. वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा
11. वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल दक्षिण छिन्दवाड़ा
12. खनि अधिकारी छिन्दवाड़ा
13. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा
14. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा
15. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग छिन्दवाड़ा
16. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा
17. उप संचालक कृषि छिन्दवाड़ा
18. जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा
20. लीड बैंक मैनेजर छिन्दवाड़ा

बैठक में सर्वप्रथम सभी उपस्थित सदस्यों को म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के लागू होने के संबंध में तथा नियमों के बारे में जानकारी दी गई शासन द्वारा इस बावत् जारी किये गये राजपत्र एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। साथ ही सभी को अवगत कराया गया कि बैठक दिनांक तक जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में लगभग 21 करोड़ रूपये जमा कराये जा चुके हैं। जिन्हें जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के तहत् निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न कार्यो हेतु व्यय करने खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुमोदन के उपरांत कार्यवाही की जा सकती है।

बैठक में शासन की मंशा अनुरूप एवं नियमों में प्रावधान के अनुसार म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के तहत् प्राप्त निधि के उपयोग हेतु उच्च प्राथमिकता का चिन्हांकन करने सभी उपस्थित सदस्यों से सझाव आमंत्रित किये गये

20/02/2017
उप संचालक

बैठक में के दौरान चर्चा अनुसार, उपस्थित सदस्यों के सुझावों, जिला स्तर पर समय–समय पर विभिन्न जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर जिले मे प्रत्यक्ष रूप से कोल खनन प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत परासिया स्थित 30 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तर अस्पताल मे उन्नयन का कार्य जिसकी अनुमानित लागत लगभग नौ करोड़ पचास लाख होगी जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त उन्नयन कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा मे शामिल है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिले मे प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रो के साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रो मे स्थित शासकीय स्कूलो मे पेयजल प्रदाय, नवीन हेंडपंप खनन तथा 50 पेयजल आपूर्ति योजनाओ का कार्य जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग दो करोड़ होगी जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्य स्थानीय विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर रखी गई मांगो की प्राथकिमता के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुसार म0प्र0 जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु प्रतिष्ठान की प्रशासकीय समिति को अधिकृत करने निर्णय भी लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(गौरीशंकर बिसेन)
मंत्री कृषि कल्याण एवं
कृषि विकास विभाग
म.प्र. शासन प्रभारी मंत्री जिला छिन्दवाड़ा

(जे.के. जैन)
कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा

(सुरभि [illegible])
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छिन्दवाड़ा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

छिन्दवाड़ा दिनांक 02/01/2017

पृ.क्रमांक/ 02 /खनि/2017

प्रतिलिपि :–

1. माननीय ....
 .... की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

2. विभाग प्रमुख (सर्व संबंधित) ....
 .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

खनि अधिकारी
छिन्दवाड़ा

20/02/2017
उप संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल